अनुसूची १४–फारम सं०–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता०.....से.....तक

जिला....., सं०....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
24.5.14.	**न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा** **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 75/2014** छोटी लाल ठाकुर —— अपीलार्थी बनाम केशव मेहता एवं अन्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स **—:: आदेश ::—** प्रस्तुत अपील वाद निम्न न्यायालय सक्षम प्राधिकार सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के भूमि विवाद वाद संख्या 85/2012 में पारित आदेश दिनांकः 30.01.14 ई० के विरूद्ध अपीलार्थी ने दाखिल किया है। वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को नामांकन के विन्दु पर सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। नामांकन के विन्दु पर सुनवायी के कम में अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय में दाखिल कागजी प्रमाणों के अवलोकन नहीं करने, बिना स्थलीय जॉच एवं नापी कर तथा प्रतिवादी के द्वारा दाखिल जाल – फरेब कागजात के आधार पर आदेश पारित करने का आरोप लगाते हुए अपील वाद दाखिल किया है। नामांकन के विन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षिम कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि निम्न न्यायालय के पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ***उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कागजातं का सुक्षमता पूर्वक विश्लेषण कर आदेश पारित की गयी है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी की ओर से दाखिल कागजी प्रमाणों का वर्णन आदेश में है तथा प्रतिवादी की ओर से दाखिल स्थल जॉच प्रतिवेदन दिनांक 25.10.12 प्रतिवादी की ओर से दाखिल सूची के साथ दाखिल है।*** निम्न न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि *"वादी स्वयं अधिक लाल मेहता से केवाला नं0 8204 दिनांक 18.12.1953 से परमेश्वर हजाम वो राम प्रसाद हजाम वो बौकु हजाम वो छोटी हजाम पे0 विपत हजाम ने खरीद किया है वो उक्त भूमि अधिक लाल मेहता को बन्दोबस्ती परमानगी 1940 ई0 बन्दोबस्ती में प्राप्त था वादी के द्वारा वाद पत्र में विवादी भूमि पुराना खतियानी के आधार पर दावा सही प्रतीत नहीं लगता है ।* जहॉ तक जाल फरेब कागजात का प्रश्न है ***जाल फरेब कागजात का कथन का समाधान सक्षम व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।*** अतः अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपीलवाद सक्षम निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आधार पर प्रविष्टि योग्य प्रतीत नहीं होता है। अस्तु अपीलार्थी का अपील वाद नामांकन विन्दु पर ही अस्वीकृत की जाती है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। 24.5.14. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा 24/5/14 आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	